संख्या-8/2026/001-378-81-7-2026

प्रेषक,

चिरौंजी लाल,
संयुक्त सचिव,
उ०प्र० शासन।

सेवा में,

निदेशक,
पर्यावरण एवं जलवायु परिवर्तन निदेशालय,
उ०प्र०, लखनऊ।

पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन अनुभाग-7 लखनऊः दिनांकः 10 जून, 2026

विषयः-वित्तीय वर्ष 2026-27 के अनुदान संख्या-45 के अन्तर्गत उत्तर प्रदेश क्लीन एयर मैनेजमेंट प्रोजेक्ट हेतु निम्नांकित मदों में प्राविधानित धनराशि के सापेक्ष वित्तीय स्वीकृति निर्गत किये जाने के संबंध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक आपके पत्र संख्या-84/पर्या०/लेखा/2026-27, दिनांक 12.05.2026 के संदर्भ में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1, उ०प्र० शासन के कार्यालय ज्ञाप संख्या-4/2026/बी-1-812/दस-2026-231/2026, दिनांक 28.03.2026 में उल्लिखित दिशा-निर्देशों के अनुसार वित्तीय वर्ष 2026-27 हेतु अनुदान संख्या-45-लेखाशीर्षक-3435-परिस्थिति विज्ञान तथा पर्यावरण-04-प्रदूषण का निवारण तथा नियंत्रण-103-वायु तथा जल प्रदूषण का निवारण-03-उत्तर प्रदेश क्लीन एयर मैनेजमेंट प्रोजेक्ट के अन्तर्गत मानक मद संख्या-**31-सहायता अनुदान-सामान्य (वेतन)** में प्राविधानित **धनराशि रू० 200.00 लाख** (रूपये दो करोड़ मात्र) की वित्तीय स्वीकृति निम्नलिखित शर्तों/प्रतिबन्धों के अधीन आपके निवर्तन पर रखे जाने तथा स्वीकृत धनराशि को उत्तर प्रदेश क्लीन एयर मैनेजमेंट प्रोजेक्ट अथॉरिटी के इंडियन बैंक, सचिवालय शाखा, बापू भवन, लखनऊ के बचत बैंक खाता संख्या-8236144844 में हस्तांतरित किये जाने की श्री राज्यपाल सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं:-

नियम व शर्तें/प्रतिबन्धों

1- उक्त धनराशि का आवंटन स्वयं में व्यय का अधिकार नहीं देता है। अतः जिस व्यय के संबंध में उ०प्र० बजट मैनुअल/वित्तीय हस्तपुस्तिका के अन्तर्गत नियमावलियों में अथवा शासन के वर्तमान आदेशों के अनुसार शासन के अथवा अन्य सक्षम अधिकारी/विभाग की पुर्वानुमति/सहमति लिया जाना अपेक्षित हो, तो उसे व्यय करने से पूर्व अनिवार्यतः नियमानुसार प्राप्त किया जाय। व्यय करते

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है।

http://shasanadesh.up.gov.in

समय मितव्ययिता के संबंध में वित्त विभाग द्वारा समय-समय पर जारी शासनादेशों का अनुपालन सुनिश्चित किया जाय। इसके साथ राजकीय धन व्यय करने में उ०प्र० बजट मैनुअल के प्रस्तर-12 में दी गयी शर्तों की पूर्ति तथा वित्तीय औचित्य के मानकों का अनुपालन भी सुनिश्चित किया जाय।

2- अनुदान के अन्तर्गत बजट में प्राविधानित धनराशि का आवंटन एवं आवंटित/वितरित धनराशि के समक्ष किये गये व्यय पर नियंत्रण के संबंध में शासनादेश संख्या-बी-1-1195/दस-16/94, दिनांक 06 जून, 1994 एवं इस संबंध में समय-समय पर निर्गत निर्देशों का कड़ाई से अनुपालन सुनिश्चित किया जाय एवं इस संबंध में समय-समय पर जारी समस्त वित्तीय नियमों/शासनादेशों का कड़ाई से अनुपालन सुनिश्चित किया जाय।

3- अवमुक्त धनराशि का आहरण एवं व्यय आवश्यकतानुसार एवं नियमानुसार किया जायेगा। स्वीकृति की जा रही धनराशि केवल चालू योजनाओं के लिए है, इसका व्यय नई मदों/सेवाओं पर कदापि न किया जाय।

4- प्रश्नगत वित्तीय स्वीकृति जिस कार्य/मद हेतु की जा रही है, उसका उपयोग नियमानुसार उसी कार्य/मद हेतु किया जायेगा तथा यह भी सुनिश्चित किया जाय कि प्रस्तावित कार्यों की दिवरावृत्ति नहीं हो रही है।

5- इसके अतिरिक्त स्वीकृत धनराशि व्यय करते समय निदेशक, पर्यावरण एवं जलवायु परिवर्तन निदेशालय, उ०प्र०, लखनऊ द्वारा समस्त औपचारिकतायें एवं वित्तीय नियमों/शासनादेशों का अनुपालन भी सुनिश्चित किया जाये।

6- प्रश्नगत वित्तीय स्वीकृति निदेशक, पर्यावरण एवं जलवायु परिवर्तन निदेशालय, उ०प्र०, लखनऊ के पत्र संख्या-84/पर्या०/लेखा-2026-27, दिनांक 12.05.2026 में उपलब्ध करायी गयी सूचना/विवरण के आधार पर निर्गत की जा रही है। अतः किसी भी प्रकार की आंकिक त्रुटि हेतु निदेशक, पर्यावरण एवं जलवायु परिवर्तन निदेशालय, उ०प्र० उत्तरदायी होंगे।

7- यह सुनिश्चित किया जाय कि प्रश्नगत कार्य किसी अन्य कार्य योजना में सम्मिलित नहीं है तथा इस हेतु पूर्व में किसी योजना/स्रोत से धनराशि स्वीकृत नहीं की गयी है।

8- बजट प्राविधान के सापेक्ष धनराशि की उपलब्धता सुनिश्चित करने का दायित्व निदेशक, पर्यावरण एवं जलवायु परिवर्तन निदेशालय, उ०प्र० का होगा।

9- स्वीकृत धनराशि का व्यय वित्तीय हस्तपुस्तिका के सुसंगत प्राविधानों, समय-समय पर शासन द्वारा निर्गत शासनादेशों के अनुरूप किया जायेगा।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है।

http://shasanadesh.up.gov.in

10- प्रश्नगत धनराशि संबंधी मदों, विषयों, नियमों इत्यादि की पुष्टता का दायित्व निदेशक, पर्यावरण एवं जलवायु परिवर्तन निदेशालय, उ०प्र० का होगा तथा इसे सुनिश्चित भी किया जाये।

11- निदेशक, पर्यावरण एवं जलवायु परिवर्तन निदेशालय, उ०प्र०, लखनऊ द्वारा यह सुनिश्चित किया जायेगा कि निर्गत की गई उक्त धनराशि के संबंध में समयान्तर्गत नियमानुसार आवश्यक कार्यवाही करते हुए समय-समय पर उक्त के संबंध में सूचना शासन को उपलब्ध करायी जाये।

2- इस संबंध में होने वाला व्यय रूपये 2,00,00,000 (रूपये दो करोड़ मात्र) को चालू वित्तीय वर्ष 2026-27 के आय-व्ययक में **अनुदान संख्या 045 लेखा शीर्षक 3435041030300** उत्तर प्रदेश क्लीन एयर मैनेजमेंट प्रोजेक्ट मानक मद 31 सहायता अनुदान - सामान्य (वेतन) के नामे डाला जायेगा।

3- यह आदेश वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1 के कार्यालय ज्ञाप संख्या-4/2026/बी -1-812/दस-2026-231/2026, दिनांक 28 मार्च, 2026 में प्रशासकीय विभाग को उक्तवत प्रतिनिधानित अधिकार के अंतर्गत निर्गत किये जा रहे है।

भवदीय,

(चिरौंजी लाल)
संयुक्त सचिव।

संख्या एवं दिनांक तदैव

प्रतिलिपि-निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1- महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी) प्रथम/द्वितीय, उ०प्र०, प्रयागराज।
2- महालेखाकार (लेखा परीक्षा) प्रथम/द्वितीय, उ०प्र०, प्रयागराज।
3- मुख्य कार्यपालक अधिकारी, उत्तर प्रदेश क्लीन एयर मैनेजमेंट प्रोजेक्ट अथॉरिटी, लखनऊ।
4- मुख्य कोषाधिकारी, जवाहर भवन, लखनऊ।
5- स्टेट स्कीम मैनेजर (श्रीमती नीरजा सक्सेना, विशेष सचिव), पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन विभाग, उ०प्र० शासन।
6- वित्त (व्यय नियंत्रण) अनु०-7/वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1/2
7- गार्ड फाइल।

आज्ञा से,

(शैलेन्द्र कुमार)
उप सचिव।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है।

http://shasanadesh.up.gov.in